निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 11/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मोहरी लाल भावरिया पुत्र श्री लादूराम जाट, निवासी ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थी

वनाम

1. पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।
2. गुलाब देवी पत्नी गोरधन,
3. मामराज पुत्र गोरधन,
4. हनुमान पुत्र गोरधन,
5. सीताराम पुत्र गोरधन,
6. चावली पुत्री गोरधन,
7. दुर्गा पुत्री गोरधन,
8. कविता पुत्री गोरधन,
9. भंवरी देवी पत्नी स्व. सुरेश,
10. सीमा पुत्री स्व. सुरेश नाबालिग जरिये प्रारंभिक संरक्षिका माता श्रीमती भंवरी देवी,
11. प्रीति पुत्री स्व. सुरेश, नाबालिग जरिये प्रारंभिक संरक्षिका माता श्रीमती भंवरी देवी,
12. भगवानी देवी पत्नी बीरबल,
13. श्रवण पुत्र बीरबल,
14. अमित पुत्र बीरबल,
15. अमरूदी पुत्री बीरबल,
16. कालू नाबालिग जरिये प्रारंभिक संरक्षिका माता भोली देवी पत्नी रामनिवास,
17. कविराज जरिये प्रारंभिक संरक्षिका माता भोली देवी पत्नी रामनिवास,

समस्त निवासियान ग्राम बरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2019 ब–उनवानी गुलाब देवी व अन्य बनाम मोहरी लाल को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मोहन लाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 8 एवं 13, 14 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.03.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 03/2019 ब–उनवानी गुलाब देवी व अन्य बनाम मोहरी लाल विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 से 8 एवं 13, 14 की ओर से श्री मोहन लाल जाट, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि में खसरा संख्या 1131 रकबा 0.37 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि है, जिसको प्रार्थी अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 17 की आराजी भूमि की सीमाएं मिली हुई है, जिसका फायदा उठा कर अप्रार्थीगण, प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1131 रकबा 0.37 हैक्टेयर से प्रार्थी को नाजायज रूप से बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होने के कारण प्रार्थी को धमकी देते है कि प्रार्थी को अनुसूचित जाति/जनजाति के केस में झूंठा फंसा कर प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि पर कब्जा करके ही रहेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशियां नियत की जा रही है एवं प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। दिनांक 15.02.2024 को प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, जिस पर प्रार्थी ने जवाब व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर चाहा, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण की पत्रावली को साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई एवं प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की धमकी दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का एक तरफा मंतव्य जाहिर है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 3 से 8 एवं 13, 14 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है, अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। टिप्पणी में अंकित किया गया है कि पूर्व में भी प्रकरण में मुंतकिल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए है, जो कि खारिज हो चुके है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास एवं नजदीक तारीख पेशियां नियत किए जाने के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner